न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी– विनोद कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
11/2023	01.02.2023	24.08.2023

अनवान

1. बंशी पिता मांगु बलाई, निवासी गठीलाखेडा तहसील व जिला भीलवाडा।
2. देबी पिता तेजा बलाई, निवासी गठीलाखेडा तहसील व जिला भीलवाडा। — **प्रार्थीगण**

बनाम

1. रामेश्वर पिता छोगा बलाई, निवासी गठीलाखेडा तहसील व जिला भीलवाडा।
2. काना पिता रामा भाम्बी, निवासी गठीलाखेडा तहसील व जिला भीलवाडा।
3. जैराम पिता रामा भाम्बी, निवासी गठीलाखेडा तहसील व जिला भीलवाडा।
4. फुलचन्द पिता गोपी खाती, निवासी गठीलाखेडा तहसील व जिला भीलवाडा।
5. नन्दु पिता गोपी खाती, निवासी गठीलाखेडा तहसील व जिला भीलवाडा।
6. नगर विकास न्यास भीलवाडा।
7. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भीलवाडा।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा। **अप्रार्थीगण**

उपस्थिति :– अधिवक्ता प्रार्थीगण श्री विकास जायसवाल
अप्रार्थीगण एक तरफा कार्यवाही

–:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम ::–

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा गठिलाखेडा पटवार हल्का गठिलाखेडा भू0अ0नि0 क्षैत्र आटूण तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबंदी संवत् 2070–2073 के खाता संख्या 206 की अभिलिखित आराजियात आराजी संख्या 924 रकबा 0.3288 हैक्टयर, आराजी नम्बर 927 रकबा 0.1138 हैक्टयर कुल किता 02 कुल रकबा 0.4426 हैक्टयर कृषि भूमि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और अप्रार्थीगण आराजियात जैर–बहस के पड़ौसी खातेदारान हैं। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिह्न नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा–चिह्न स्थापित किया जावे। प्रार्थीगण वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार हैं।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। आज दिनांक 24.08.2023 को अप्रार्थीगण के बाजवूद सूचना के हाजिर नहीं आने से अप्रार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की इस्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढ़ी का है व प्रार्थीगण अपनी आराजियात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैर–बहस के खातेदार काश्तकार हो कर इन्हें आराजियात जैर–बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढ़ी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के कम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार सह–काश्तकार होने से सीमाज्ञान कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

तथा तहसीलदार भीलवाड़ा को सीमांकन (पत्थरगढ़ी) कराने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार भीलवाड़ा को आदेश दिया जाता है कि मौजा गठिलाखेडा पटवार हल्का गठिलाखेडा तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबंदी संवत् 2070–2073 के खाता संख्या 206 की अभिलिखित आराजियात आराजी संख्या 924 रकबा 0.3288 हैक्टयर, आराजी नम्बर 927 रकबा 0.1138 हैक्टयर कुल किता 02 कुल रकबा 0.4426 हैक्टयर कृषि भूमि फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खड़ी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिह्न स्थापित कर सीमांकन (पत्थरगढ़ी) किया जावे एवं पर्चा मौका एवं मौका नक्शा 15 दिवस में इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। सीमांकन (पत्थरगढ़ी) हेतु तहसीलदार भीलवाड़ा को 1000/–रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नरी शुल्क का रिकॉर्ड विधिवत् संधरित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करें तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करें। तहसीलदार भीलवाड़ा को तहरीर जारी करें।

पत्रावली निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 24.08.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विनोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा